राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 28.03.2020
30.03.2020

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान

विषयः– यू. टी. बी. आधार पर रिक्त पदों को भरने के संबंध में।

संदर्भः– विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 28.03.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति से निपटने के परिप्रेक्ष्य में आपके जिले में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर यू. टी. बी. आधार पर आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से पूर्व निर्धारित दरों पर भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, की निरन्तरता में यूटीबी आधार पर चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को कोरोना वायरस (COVID-19) के नियंत्रण तक भरे जाने की स्वीकृति वित्त विभाग की निम्नानुसार शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती हैः–

1. यूटीबी आधार पर एम. बी. बी. एस./पी. जी. डिग्रीधारी चिकित्सकों को कोरोना वायरस (COVID-19) के नियंत्रण तक निर्धारित दर पर।

2. यूटीबी आधार पर पेरामेडिकल स्टाफ यथा जीएनएम, एएनएम, लैब टेक्निशयन आदि को कोरोना वायरस (COVID-19) के नियंत्रण तक एन. एच. एम. द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर।

उक्त यूटीबी आधार पर भर्ती के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 एवं राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 तथा समय–समय पर संशोधित नियम तथा अन्य भर्ती नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे। उक्त यूटीबी आधार पर भर्ती कोरोना वायरस (COVID-19) के नियंत्रण तक ही लागू होगी।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई. डी. क्रमांक 102001748 दिनांक 28.03.2020 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

30/03/2020
(रोहित कुमार सिह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
6. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार) 30.3.2020
शासन उप सचिव